

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान./2018/डी-268

दिनांक 11/6/18

### अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22 व 23 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मास्टर विकास योजना-2025 (जयपुर रीजन) प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसी क्रम में मास्टर विकास योजना-2025 (जयपुर रीजन) के क्षेत्र की प्रारूप जोनल विकास योजना संख्या- 1 व 6 प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 द्वारा आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रारूप जोनल विकास योजना संख्या-1 व 6 के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आपत्ति/सुझाव इस विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में निर्धारित कालावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव स्वीकार्य योग्य नहीं होंगे।

उपरोक्तानुसार अधिसूचित जोनल विकास योजना संख्या-1 व 6 का अवलोकन जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वागत कक्ष के सूचना पट्ट, नागरिक सेवा केन्द्र एवं जविप्रा की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) पर किया जा सकता है।



सचिव  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने हेतु डीडी संख्या ..... दिनांक ..... राशि 2100/- रूपये संलग्न कर प्रेषित है।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उद्योग भवन, जयपुर।
9. जिलाधीश, जयपुर।
10. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान प्रदूषण म. उ. न. जयपुर।
14. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/विधि/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
17. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
18. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
19. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा, जयपुर।
20. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी./प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
21. समस्त अतिरिक्त मु.न.नि./वरिष्ठ नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर।
22. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत), जविप्रा, जयपुर।
23. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-V1 (पीएचईडी), जविप्रा, जयपुर।
24. संयुक्त आयुक्त (संसाधन प्रबन्ध एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेंट), जविप्रा, जयपुर।
25. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
26. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
27. उपायुक्त जोन-1, से 14, पी.आर.एन (उत्तर-1, II/दक्षिण-1, II), जविप्रा, जयपुर।
28. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
29. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।